

By Speed Post
RTI MATTER
(To be issued in Hindi)

No. VI.23014/94/2014-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road,
New Delhi-110001, dated: 5th August, 2014

To
Shri Narendra Sharma,
F-9/8, A, Krishna Nagar,
Delhi-110051.

Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 10.06.2014 received in this unit on transfer on 07.07.2014.

2. In this regard, it is stated that the subject matter of your application does not relates to this unit. The requisite information so far as this Unit is concerned, may please be treated as 'Nil'. The information sought by you may be related to Delhi Police. A copy of your RTI application has already been transferred to Delhi Police by RTI Cell, MHA for providing requisite information directly to you.

3. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Sailesh, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)
Director (VS) & CPIO
Tele:23438120
Fax:23438077

Copy to:

- (i) Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.A-43020/01/2014-RTI dated 02.07.2014.
- (ii) S.O. (IT), MHA, North Block, New Delhi alongwith a copy of RTI application of Shri Narendra Sharma for disclosure on MHA website.




संवा में,

श्रीमान केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,

गृह मंत्रालय (भारत सरकार),

नार्थ ब्लॉक, केन्द्रीय सचिवालय,

नई दिल्ली-110001




विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न सूचना देने के संदर्भ में:-

1. यह अवगत कराया जाये कि केन्द्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे जी दिनांक:-03.06.2014 को सुबह किस जगहा के लिए जा रहे थे उस जगहा का नाम और उसके लिए हो रखी टिकट की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित जानकारी दी जाये !
2. यह भी अवगत कराया जाये कि दिनांक:-03.06.2014 को केन्द्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे जी के साथ कौन-कौन था उनके नामों कि जानकारी दी जाये !
3. यह भी अवगत कराया जाये कि दिनांक:-03.06.2014 को केन्द्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे जी के साथ पूरी सुरक्षा थी अगर हाँ तो कितने सुरक्षा कर्मी थे उनकी सख्या और अगर सुरक्षा कर्मी साथ में मौजूद नहीं थे किस कि कमी के कारण नहीं थे और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई कि गई है जानकारी दी जाये !
4. दिनांक:-03.06.2014 को केन्द्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे जी के साथ हादसा किन-किन वजहों से हुआ विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाये !
5. दिनांक:-03.06.2014 को केन्द्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे जी के साथ हादसा कितने समय पर हुआ उस समय कि जानकारी और हादसा होने के बाद कितने समय बाद इलाज शुरू हुआ. (A) हादसा होने के बाद घटना इस्थल पर कितने समय तक रहे. (B) और अस्पताल में कितने समय में पहुचाया गया उस समय कि जानकारी दी जाये !

Delhi Police

(VS)




6. दिनांक:-03.06.2014 को केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे जी के साथ हादसा होने के बाद सही समय पर इलाज मिला या सही समय पर इलाज नहीं मिलना जानकारी दी जाये. (A) और यह भी अवगत कराया जाये कि इलाज में अगर लापरवाही हुई है तो इस के लिए कौन-कौन दोषी है और उनके खिलाफ क्या-क्या करवाई कि गई है जानकारी उपलब्ध कराई जावे 7. यह भी अवगत कराया जाये कि केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुण्डे जी का निधन किन-किन वजहों से हुआ उन वजहों कि जानकारी सहित कॉज ऑफ डेथ भी बताया जाये !

8. यह भी अवगत कराया जाये कि केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुण्डे जी का लीवर किस वजह से फटा और कितनी जगह से फटा जानकारी दी जाये. (A) और यह भी अवगत कराया जाये कि कार में कितने लोग बैठे हुए थे और उनमें से कितनों को किस-किस प्रकार कि चोटें आई कितनों को गंभीर चोटें आई जानकारी दी जाये !

9. आई.पी.ओ. 23F404850सलग्न

समय पर सूचना उपलब्ध करवाई जाएँ !

नोट- केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के नियम 10 (4) के तहत हिंदी के पत्रों का हिंदी में जवाब दिया जाना चाहिए।

प्रार्थी

 नरेन्द्र शर्मा

Dated: 10.06.14

(आर.टी.आई-एक्टिविस्ट)

F-9/8 ,A, कृष्णा नगर

दिल्ली-110051

Mob-08750258552

Email-narendersharma.498@gmail.com

RTI MATTER/ TIME BOUNDSPEED POST

फा0सं032-01/2014-प्रशासन

भारत सरकार

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

राजभाषा विभाग : गृह मंत्रालय

8वां तल, बी-ब्लॉक, पर्यावरण भवन,

केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड,

नई दिल्ली - 110003

दिनांक 18.6.2014

सेवा में,

श्री नरेन्द्र शर्मा,

R/o F-9/8A, Krishna Nagar,

Delhi-110051


विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 10.6.2014 का आवेदन ब्यूरो से संबंधित नहीं है ।

RTI Act, 2005 के नियम 6(3) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत आपका मूल आवेदन पोस्टल आर्डर सहित केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है ।

भवदीय,



(विनाई संदर्भित)

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक

फोन नं. 24362151

प्रतिलिपि:

1. Central Public Information Officer, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110001 for information and necessary action.